रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 75] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 7, 1976/चैत्र 18, 1898

No. 75] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 7, 1976/CHAITRA 18, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

RAJYA SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th April 1976

No. RS. 1/2/76-L.—The following order by the President, dated the 7th April, 1976, is published for general information:—

"In exercise of the powers conferred upon me by clause (1) of article 85 of the Constitution, I hereby summon the Rajya Sabha to meet at 11.00 A.M. on Monday, the 10th May, 1976, at New Delhi.

The 7th April, 1976. FAKHRUDDIN ALI AHMED,
PRESIDENT."

S. S. BHALERAO,
Secretary-General.

राज्य सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1976

संख्या आर०एस० 1/2/76-एल०.—राष्ट्रपति द्वारा दिया गया निम्नलिखित आदेश दिनांक 7 अप्रैल, 1976 आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"संविधान के अनुच्छेद 85 के खण्ड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतद्द्वारा राज्य सभा को सोमवार, 10 मई, 1976 को मध्याह्न पूर्व 11 बजे नई दिल्ली में समवेत होने के लिए आमन्त्रित करता हूं।

7 अप्रैल, 1976

फ़खरुद्दीन अली अहमद,
राष्ट्रपति।"

श्री० शा० भालेराव,
महासचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976